ायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी कपिल शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

त्र संख्या–30/2023

त्र प्रविष्टि दिनांक–16.06.2023

िय दिनांक–28.08.2024

ाकिशन पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी ग्राम इस्लामपुरा गाता तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

छूराम पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी ग्राम इस्लामपुरा गाता तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

ालाल पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी ग्राम इस्लामपुरा गाता तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

ागचन्द पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी ग्राम इस्लामपुरा गाता तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

ांची पुत्री कल्याण जाति बैरवा निवासी ग्राम इस्लामपुरा गाता तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

ुगना पुत्री कल्याण जाति बैरवा निवासी ग्राम इस्लामपुरा गाता तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

ुत्तु पुत्री कल्याण जाति बैरवा निवासी ग्राम इस्लामपुरा गाता तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

ोहन पुत्र झीता जाति बैरवा निवासी ग्राम इस्लामपुरा गाता तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

ाहुल पुत्र झीता जाति बैरवा निवासी ग्राम इस्लामपुरा गाता तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

सीताराम पुत्र धन्ना जाति बैरवा निवासी ग्राम इस्लामपुरा गाता तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

अनिल कुमार पुत्र किशनलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम कालीपलटन टोंक तह0 व जिला टोंक (मृत्तक)

/1. अनिता वर्मा पत्नि अनिल कुमार जाति बैरवा निवासी ग्राम कालीपलटन टोंक तह0 व जिला टोंक

/2. संभव खारेला पुत्र अनिल कुमार जाति बैरवा निवासी ग्राम कालीपलटन टोंक तह0 व जिला टोंक

/3. नव्या पुत्री अनिल कुमार जाति बैरवा निवासी ग्राम कालीपलटन टोंक तह0 व जिला टोंक (राज0)

पटवारी हल्का पांसरोटियां

भू.अभि. नि. क्षैत्र नानेर

तहसीलदार पीपलू

अप्रार्थीगण

िधिवक्ता प्रार्थीगण–श्री विवेक चौधरी एड0

श्री ईरशाद अहमद खान एड0

िधिवक्ता प्रतिपक्षी संख्या 1/1 ता 1/3–श्री छीतरलाल प्रजापत

आवेदन बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज व नक्शा शीट

अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 206/1 रकबा 0.2655 हैक्ट. वाके ग्राम इस्लामपुरा गाता, पटवार हल्का पांसरोटियां, भू.अ.निरीक्षक नानेर तह0 पीपलू जिला टोंक राज0 में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात ख0न0 206 पैत्तृक आराजीयात थी, जो जरिये विरासत पक्षकारान् को प्राप्त हुई थी। जिसमें से 05–00 बीघा भूमि पूर्व दिशा वाली रोड साईड को प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 07.06.2010 को हीरालाल पुत्र गोपी को बेचान कर दिइया तथा बाद में उसने अप्रार्थी संख्या 01 को बेचान कर दी। इस कारण उक्त वर्णित आराजीयात 206/1 प्रार्थीगण, 206/2 अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन ख0न0 206/1 व ख0न0 206/2 का अप्रार्थीगण का राजस्व रिकॉर्ड के रूप में अंकन किया गया है। हाल ही में राजस्व कर्मचारियो द्वारा नक्शा शीट में जो तरमीम ख0न0 206/1 व ख0न0 206/2 में की गयी है, वह गलत है। जिस स्थान पर नक्शा शीट में ख0न0 206/1 को दर्शाया गया है। उस स्थान पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही है। इस कारण ख0न0 206/1 की नक्शा शीट में की गई तरमीम मौके व कब्जे के विपरित है। प्रार्थीगण का ख0न0 206 में पश्चिम दिशा में ख0न0 213, 212, 211, 210 के लगवा रास्ते के पास कदीमी से काबिज होकर काश्त कर रहे है। राजस्व कर्मचारियो द्वारा राजस्व रिकॉर्ड नक्शा शीट में प्रार्थीगण के ख0न0 206/1 की गई तरमीम मौके व कब्जे के विपरित होने से दुरस्त फरमायी जावे तथा ख0न0 206/1 व 206/2 की तरमीम को मौके व कब्जे तथा विक्रय पत्र में दी गई दिशा के अनुसार किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे। हाल ही मे प्रार्थीगण द्वारा अपने खाते की जमाबंदी व नक्शा शीट ली गयी तो उसमे नक्शा शीट में की गई तरमीम को गलत पाया। जिसकी वजह से दुरूस्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की ग्राम इस्लामपुरा गाता में स्थित भूमि आराजी ख0न0 206/1 व 206/2 की तरमीम को मौके व कब्जे तथा विक्रय पत्र मे दी गई दिशा के अनुसार किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है। अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/3 की ओर से अधिवक्ता श्री छीतरलाल प्रजापत ने वकालतनामा व जवाब आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया की आवेदन पत्र के चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 206/1 वाके ग्राम इस्लामपुरा गाता पटवार हल्का पांसरोटियां तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित होना अप्रार्थीगण स्वीकार करते है। चरण संख्या 02 अप्रार्थीगण स्वीकार करते है। आवेदन पत्र का चरण संख्या 03 स्वीकार है। आवेदन पत्र का चरण संख्या 04 अप्रार्थीगण स्वीकार करते है। आवेदन पत्र का चरण संख्या 05 स्वीकार है, क्योकि वर्तमान शीट मौके व कब्जे के विपरित है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है। आवेदन पत्र के चरण संख्या 6, 7, 8, 9 विधिक होने से जवाब की आवश्यकता नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की भूमि ख0न0 206/1 व 206/2 की तरमीम विक्रय पत्र में दी गई दिशा व मौके पर कब्जे के अनुसार किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

तहसीलदार पीपलू ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की ग्राम इस्लामपुरा गाता के आराजी ख0न0 206/1 रकबा 0.2655 हैक्ट. किस्म बारानी प्रथम खातेदार सुवालाल, लच्छूराम, राधाकिशन पुत्र कल्याण, हस्तु, सुगना, पांची पुत्रियां कल्याण, मोहन, राहुल पुत्र झीता, भागचन्द पुत्र कल्याण, सीताराम पुत्र धन्ना जाति बैरवा के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। ख0न0 206 का रकबा 06-01 जिसका बेचान नामान्तकरण संख्या 215 के द्वारा सुवालाल, राधाकिशन, झीता, लच्छूराम पि0 कल्याण, हस्तु, पांची, सुगना पुत्रियां कल्याण हि. बहिस्सा बराबर जाति बैरवा द्वारा ख0न0 206 में से 5.00 बीघ भूमि छीतर पुत्र गोपी बैरवा सा. चन्दलाई तह0 टोंक खातेदार को बेचान कर दी गई थी तथा शेष रकबा यथावत बदस्तुर रह गया था। ग्राम इस्लामपुरा गाता में नामान्तकरण संख्या 261 द्वारा छीतरलाल पुत्र गोपी जाति बैरवा सा. चन्दलाई तह0 टोंक द्वरा अनिल कुमार पुत्र किशनलाल जाति बैरवा सा. हजारी पाडा कालीपलटन टोंक को बेचान कर दी गई थी। यह की प्रार्थीगण का ख0न0 206/1 व अप्रार्थीगण का ख0न0 206/2 का वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड व मौके पर कब्जे में भिन्नता है। यह की पंजीबद्ध विक्रय पत्र अनुसार प्रार्थीगण द्वारा छीतर लाल पुत्र गोपी जाति बैरवा सा. चन्दलाई के मूल ख0न0 206 में से 5-00 बीघा भूमि पूर्व दिशा वाली रोड साईड क्रेता को विक्रय की गई थी। पंजीबद्ध विक्रय पत्र की प्रति व मौके पर कब्जे काश्त अनुसार नजरी नक्शा संलग्न है।

प्रार्थी ने बहस का निवेदन किया। बहस सुनी गई। प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का बयान करते हुए कहा कि भूमि आराजी ख0न0 206/1 रकबा 0.2655 हैक्ट. वाके ग्राम इस्लामपुरा गाता, पटवार हल्का पांसरोटियां में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात ख0न0 206 पैत्तृक आराजीयात थी, जो जरिये विरासत बजरान् को प्राप्त हुई थी। जिसमें से 05-00 बीघा भूमि पूर्व दिशा वाली रोड साईड को प्रार्थीगण द्वारा दिनांक ..06.2010 को हीरालाल पुत्र गोपी को बेचान कर दिया तथा बाद में उसने अप्रार्थी संख्या 01 को बेचान कर दी। इस कारण उक्त वर्णित आराजीयात 206/1 प्रार्थीगण, 206/2 अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन ख0न0 206/1 व ख0न0 206/2 का अप्रार्थीगण का राजस्व रिकॉर्ड के रूप में अंकन किया गया है। हाल ही में राजस्व कर्मचारियो द्वारा नक्शा शीट में जो तरमीम ख0न0 206/1 व ख0न0 206/2 में की गयी है, वह गलत है। जिस स्थान पर नक्शा शीट में ख0न0 206/1 को दर्शाया गया है। उस स्थान पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही है। इस कारण ख0न0 206/1 की नक्शा शीट में की गई तरमीम मौके व कब्जे के विपरित है। प्रार्थीगण का ख0न0 206 में पश्चिम दिशा में ख0न0 213, 212, 211, 210 के लगवा रास्ते के पास कदीमी से काबिज होकर काश्त कर रहे है। राजस्व कर्मचारियो द्वारा राजस्व रिकॉर्ड नक्शा शीट में प्रार्थीगण के ख0न0 206/1 की गई तरमीम मौके व कब्जे के विपरित होने से दुरुस्त फरमायी जाकर ख0न0 206/1 व 206/2 की तरमीम को मौके व कब्जे तथा विक्रय पत्र में दी गई दिशा के अनुसार किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/3 ने अपनी बहस में बताया की आवेदन पत्र के चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 206/1 वाके ग्राम इस्लामपुरा गाता पटवार हल्का पांसरोटियां तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित होना अप्रार्थीगण स्वीकार करते है। चरण संख्या 02, 03, 04 अप्रार्थीगण स्वीकार करते है। आवेदन पत्र का चरण संख्या 05 स्वीकार है, क्योकि वर्तमान शीट मौके व कब्जे के विपरित है। जिसे दुरूस्त किया जाना

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

यक व न्यायसंगत है। अतः भूमि ख0न0 206/1 व 206/2 की तरमीम विक्रय पत्र में दी गई दिशा व मौके कब्जे के अनुसार किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू ने अपनी बहस में बताया की भूमि आराजी ख0न0 206/1 रकबा 0.2655 ट. किस्म बारानी प्रथम खातेदार सुवालाल, लच्छूराम, राधाकिशन पुत्र कल्याण, हस्तु, सुगना, पांची पुत्रियां ल्याण, मोहन, राहुल पुत्र झीता, भागचन्द पुत्र कल्याण, सीताराम पुत्र धन्ना जाति बैरवा के नाम दर्ज राजस्व कॉर्ड है। ख0न0 206 का रकबा 06–01 जिसका बेचान नामान्तकरण संख्या 215 के द्वारा सुवालाल, राधाकिशन, ता, लच्छूराम पि0 कल्याण, हस्तु, पांची, सुगना पुत्रियां कल्याण हि. बहिस्सा बराबर कौम बैरवा द्वारा ख0न0 206 से 5.00 बीघ भूमि छीतर पुत्र गोपी बैरवा सा. चन्दलाई तह0 टोंक खातेदार को बेचान कर दी गई थी तथा शेष बा यथावत बदस्तुर रह गया था। ग्राम इस्लामपुरा गाता में नामान्तकरण संख्या 261 द्वारा छीतरलाल पुत्र गोपी ति बैरवा सा. चन्दलाई तह0 टोंक द्वारा अनिल कुमार पुत्र किशनलाल जाति बैरवा सा. हजारी पाडा कालीपलटन क को बेचान कर दी गई थी। यह की प्रार्थीगण का ख0न0 206/1 व अप्रार्थीगण का ख0न0 206/2 का मान राजस्व रिकॉर्ड व मौके पर कब्जे में भिन्नता है। यह की पंजीबद्ध विक्रय पत्र अनुसार प्रार्थीगण द्वारा छीतर ल पुत्र गोपी जाति बैरवा सा. चन्दलाई के मूल ख0न0 206 में से 05–00 बीघा भूमि पूर्व दिशा वाली रोड ईड क्रेता को विक्रय की गई थी। पंजीबद्ध विक्रय पत्र अनुसार प्रार्थी खातेदार मौके पर काबिज है। सेग्रीगेशन समय तरमीम करते समय मुताबिक विक्रयपत्र अनुसार तरमीम नही हुई है। जो संहवन से त्रुटी है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली व जवाब आवेदन पत्र एवं अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू के जवाब के लोकन एवं बहस पर मनन किया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 206/1 व 6/2 वाके ग्राम इस्लामपुरा गाता, पटवार हल्का पांसरोटियां की हाल ही में डी.आई.एल.आर.एम.पी. शीट में जो मीम की गई है। वह त्रुटीपूर्ण है। उक्त त्रुटीपूर्ण राजस्व कर्मचारियों द्वारा सेग्रीगेशन के दौरान संहवन से होना ष्ट हैं। तहसीलदार पीपलू ने भी अपनी बहस में उक्त त्रुटीपूर्ण तरमीम को स्वीकार किया है व संलग्न विक्रयपत्र नजरी नक्शा अनुसार दुरूस्त किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की हैं। अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत र्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आराजी ख0न0 206/1 व 206/2 वाके ग्राम इस्लामपुरा गाता, पटवार ल्का पांसरोटियां की हाल में डी.आई.एल.आर.एम.पी. शीट में की गई त्रुटीपूर्ण तरमीम को दुरूस्त करते हुए लग्न नजरी नक्शा अनुसार व मुताबिक विक्रयपत्र अनुसार तरमीम संशोधन किये जाने का आदेश दिया जाता है। हसीलदार पीपलू ख0न0 206/1 व 206/2 वाके ग्राम इस्लामपुरा गाता, पटवार हल्का पांसरोटियां की नक्शा ीट (डिजिटल शीट) प्रस्तावित नक्शा शीट व मुताबिक विक्रयपत्र अनुसार संशोधित करे। निर्णय आज दिनांक 8.08.2024 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(कपिल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner